186/2024

तथ्यों में इस बात की तो पुष्टि होती है कि तत्समय न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 16/2021 अनवान नारणा वगैरह बनाम नारणीदेवी वगैरह में निर्णय दिनांक 26.11.2025 के तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा सारणों का सरा के खेत खसरा संख्या 262 की भूमि का संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार विभाजन हो जाने पर बरंग आसमानी अनुसार प्रार्थीगण नारणाराम,खींयाराम हुकमाराम पि. सताराम को सरकारी कटाण रास्ता (सड़क मार्ग) से सीधा जोडा गया है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादी वकील द्वारा अपील न्यायालय में उक्त निग्रय को चुनौती दी गई है। यदि चुनौती के निर्णय अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 26.11.2025 को किन्ही कारणों से अपास्त कर दिया जाता है अथवा उसकी कियान्विति को रोक दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने खेत से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु प्रचलित रास्ते का उपयोग/उपभोग करने से वंचित रह जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाये।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो यथा मौका जांच रिपोर्ट का अद्यतन एवं अवलोकन किया। जहां तक प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों की पूर्ति करते हुए तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व वाद सं. 16/2021 अनवान नारणा वगैरह बनाम नारणीदेवी वगैरह में निर्णय दिनांक 26.11.2025 के तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा सारणों का सरा के खेत खसरा संख्या 262 की भूमि का संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार विभाजन हो जाने पर बरंग आसमानी अनुसार प्रार्थीगण नारणाराम,खींयाराम हुकमाराम पि. सताराम को सरकारी कटाण रास्ता (सड़क मार्ग) से सीधा जोडा गया है। जहां तक वर्तमान में प्रार्थीगण को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाने के क्रम में प्रार्थी की दलील अनुसार यदि पूर्व पारित निर्णय दिनांक 26.11.2025 के अपीलीय न्यायालय में यदि चुनौती दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों के उलट प्रार्थीगण अपेक्षित सड़क मार्ग से जुड़ाव होने अथवा नहीं होने की परस्पर विषम परिदशा उत्पन्न होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों एवं आवेदन की विचारणीयता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रार्थीगण सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ होने से उपरांत भी यदि पूर्व में निर्णित वाद के संबंध में कोई कोई परिवर्तन होने की दशा में प्रार्थी इस आवेदन को इसी स्तर पर पुर्नबरामद करवाते हुए अपनी इस्तदुआ माफिक रास्ते की चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते से जुड़ा हुआ होने से प्रार्थी का आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी